कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा

संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

क्र. / 1905 संविदा भर्ती / पेण्ड्रा / नियुक्ति आदेश / 2021 गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 20 / 09 / 2021

–: आदेश :–

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्र. / एफ 23–08 / 2020 / 20–तीन अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 30 / 06 / 2021 एवं आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. प्रथम तल सी.खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. / स्वा.आ.अं.मा. / 2021–22 / 259 रायपुर दिनांक 13 / 07 / 2021 द्वारा दिये गये पद के अनुसार स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.) द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 04 / 08 / 2021 एवं अंतिम चयन सूची जारी दिनांक 16 / 09 / 2021 के आधार पर स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा में उल्लेखित पद पर संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.) द्वारा संचालित स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा में दिनांक 29 / 09 / 2021 सायं 05:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मानदेय (एकमुश्त)	पता
1.	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) अनारक्षित	PARITOSH MAJUMDAR	VIJAY MAJUMDAR	38100	WARD NO. - 02 , GANDHI NAGAR , RATANPUR , DISTRICT - BILASPUR , CHHATTISGARH

नियुक्ति की शर्तें:–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेगी।
2. पद / नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी / कूटरचित पाये जाने तथा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
5. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा, ना ही उस पद पर के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जाएगी।
6. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।
7. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर जारी आदेश लागू होंगे।
8. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
9. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा, एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।
10. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर 01 वर्ष कालावधि के लिए की जाती हैं 01 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के

उपरान्त छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जाएगा।

11. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (02) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
12. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय मेडिकल बोर्ड – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.) द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
14. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर अथवा संबंधित पद की समाप्ति की दशा में संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
15. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
16. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर /अन्य न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगा।
17. चयनित अभ्यर्थी को पद भार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित परिशिष्ट–01 (अनुप्रमाणन फार्म) में समस्त वांछित पूर्तियां उपरान्त कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में विपरीत अभियुक्ति पायी जाएगी, तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
19. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो, तो उसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
20. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना/अथवा पीपीएफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा
संचालन एवं प्रबधन समिति जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

पृ.क्र./1906/संविदा भर्ती/पेण्ड्रा /नियुक्ति आदेश/2021 गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 20/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर शंकर नगर रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. कलेक्टर महोदय, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. प्राचार्य, स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. संबंधित चयनित अभ्यर्थी ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानन्द शास. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा
संचालन एवं प्रबधन समिति जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)